(v) (क) 1998-99 के वर्ष के लिए सेंटर फोर एन्वायरनमेंट एजुकेशन, नेहरू फाउंडेशन फोर डेवलपमेंट, अहमदाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।।[पुस्तकालय में रखी गई देखिये सं. एल०टी०928/99]

(vi) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए जी.बी.पन्त इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरनमेन्ट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई दखिये सं.एल०टी०923/99]

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

(vii) (क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन 1997-98 के वर्ष के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।[पुस्तकालय में रखी गई देखिये सं एल० टी०9240/99]

Notifications of the Ministry of Labour

श्रम मंत्री (डा. सत्य नारायण जटिया) :सभापति महोदय, में श्री मुनिलाल की ओर से शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 के अधीन श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 39, दिनांक 30 जनवरी, 1999।

(2) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 40, दिनांक 30 जनवरी, 1999।

(3) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 41, दिनांक 30 जनवरी, 1999।

(4) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 शुद्धिपत्र सा.का.नि.125 दिनांक 24 अप्रैल, 1999 सहित, को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 58, दिनांक 27 फरवरी, 1999।

(5) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 190, (अ) दिनांक 26 फरवरी, 1999।[पुस्तकालय में रखी गईदखिये सं.एल०टी०827/99]

(6) शिक्षु अधिनियम, 1961और शिक्षुता नियम, 1991, शुद्धिपत्र का.आ. 2268 (अ) दिनांक 7 अगस्त, 1999 सहित केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने वाला का.आ.426 (अ) दिनांक 9 जून, 1999। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं एल० टी०828/99]

Reports and Accounts (1997-98, 1996-97) of Marine Prodcuts Export Development Authority Kochi and Coffee Board, Banglore and related papers

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत) : श्रीमन मैं श्री उमर अब्दुल्ला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

I. (1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(क) 1997-98 के वर्ष के लिए मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलमेंट अथोरिटी, कोची का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त अथोरिटी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।